



Dated: 05th Feb., 2021

To

<p>Manager Listing Department/ Department of Corporate Relations BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code : 533344</p>	<p>General Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 51 Scrip Code : PFS</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub : Financial Results as advertised in Newspapers

Sir/Madam,

Please find attached the copy of the relevant pages of the newspapers of 05th February, 2021 in which the financial results of the Company for quarter and nine months ended 31st December, 2020 of FY 20-21 are published.

Thanking You,

For PTC India Financial Services Limited


Vishal Goyal
(Company Secretary)



Enclosed : as above

PTC India Financial Services Ltd. (CIN: L65999DL2006PLC153373)

(A subsidiary of PTC India Limited)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India

Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

CFM सोीएफएम एसेट रिकॉस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए/3, 5वां तल, सफल प्रॉफिटेयर, निकट प्रह्लाद नगर गार्डन, अहमदाबाद-380015
कारपोरेट कार्यालय: प्रथम तल, वैकफील्ड हाउस, स्पोर्ट रोड, बल्लाई एस्टेट, मुंबई-400038
ईमेल: anil.mittal@cfmrc.in, संपर्क नं. 9699224712

“परिशिष्ट-IV-ए” [द्वेष नियम 8(6) के प्रावधान]
मेसर्स राइज एंटरप्राइजेज – अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक अधोलिखित अचल संपत्तियों जिनका कब्जा सोीएफएम एसेट रिकॉस्ट्रक्चर प्रा. लि. (सोीएफएमएआरसी ट्रस्ट-4 इंडसट्रियल बैंक के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत) प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, मेसर्स राइज एंटरप्राइजेज (कर्जदार), श्रीमती लक्ष्मी शर्मा (प्राइवेट/बंधककर्ता), श्री आशीष शर्मा (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) से प्रत्याभूत ऋणदाता को देय दिनांक 11.06.2019 को रु. 1,65,57,387.74/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख सत्तावन हजार तीन सौ सत्तासी और चौहत्तर पैंसा मात्र) और आगे की ब्याज, लागत और व्ययों आदि की वसूली के लिए “जहाँ है, जो है”, “जो है जैसी है”, “जैसी भी है” और “कोई वापसी नहीं” आधार पर 22 फरवरी, 2021 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी। संपत्तियों का आरक्षित मूल्य और वसूले राशि जमा निम्नवत् है।

अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	निरीक्षण की तिथि व समय
1	प्लॉट नं. 13, आनंद विहार बी, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, एरिया माप 200 वर्ग गज	रु. 38,00,000/- (रुपये अड़तीस लाख मात्र)	रु. 3,80,000/- (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)	
2	प्लॉट नं. 14, आनंद विहार बी, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, एरिया माप 180 वर्ग गज	रु. 71,24,400/- (रुपये इकहत्तर लाख चौबीस हजार चार सौ मात्र)	रु. 7,12,440/- (रुपये सात लाख बाह्र हजार चार सौ चालीस मात्र)	15 फरवरी, 2021 अप. 12 से अप. 3 तक
3	प्लॉट नं. 21, आनंद विहार बी, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, एरिया माप 180 वर्ग गज	रु. 38,00,000/- (रुपये छत्तीस लाख मात्र)	रु. 3,60,000/- (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)	

ऋणभार यदि कोई हो: पंजीकृत बिक्री विलेख एसाइनर बैंक/एआरसी की सहमति के बिना प्लॉट नं. 21 से संबंधित कर्जदार द्वारा तीसरी पार्टी के फंड में किया गया है।
बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.cfmarc.in पर दिया लिंक देखें।

दिनांक: 05 फरवरी, 2021
स्थान: जयपुर
हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
सोीएफएम एसेट रिकॉस्ट्रक्चर प्रा. लि.
(सोीएफएमएआरसी ट्रस्ट-4 इंडसट्रियल बैंक के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत)

almondz
ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD.
CIN: L74899DL1994PLC098339
Regd. Off.: 2nd Floor, 3 Scindia House, Janpath, New Delhi-110001
Tel.: 011-41514666, Fax.: 011-41514665
Website: www.almondzglobal.com, E-mail ID: secretarial@almondz.com

NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 11th day of February, 2021, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone as well as Consolidated) for the Quarter ended on 31st December, 2020.
The said Notice is also available at Company's website at www.almondzglobal.com
For Almondz Global Securities Ltd Sd/-
Ajay Pratap
Company Secretary & Vice-President Corporate Affairs

Place: New Delhi
Date: 04.02.2021

परिशिष्ट IV
द्वेष नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्सोर्टाइजेशन एंड रिकस्ट्रक्चर ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एम्प्लोमेंट ऑफ सिक्सोर्टी इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्सोर्टी इंस्ट्रूमेंट (एम्प्लोमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते कर्जदार श्री अमित कुमार और लक्ष्मी सिंह को रु. 17,77,204/- (रुपए सत्रा लाख सहातर हजार दो सौ चार मात्र) और 18.09.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राची की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधायना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्सोर्टी इंस्ट्रूमेंट (एम्प्लोमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 03.02.2021 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संश्लेषित के साथ सूचित नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.17,77,204/- (रुपए सत्रा लाख सहातर हजार दो सौ चार मात्र) 18.09.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होना।
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
आवासिय प्लेट नं.ए.ए.ए.-2 माण्ड 51.09 स्के.मी.का कवर्ड एरिया को 550 स्के.फीट के बराबर (दुसरी मंजिल), (सामने आर.ए.ए.स) (रूप राइट्स के साथ), एम.आइ.जी. प्लेट नं.डी-4/4 पर स्थित आवासिय कालोनी डीएलएफ अंगर विहार पर स्थित, हयबस्त गाँव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश

उक्त प्लेट निम्नसुक्त परिवर्द्ध है:
पूर्व : प्लॉट नं.डी-4/5
उत्तर : रोड 9 मीटर चौड़ा संलग्न पार्क
दक्षिण : प्लॉट नं.डी-4/3
दक्षिण : अन्य का प्लॉट
सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाज़ियाबाद
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

COMPETENT AUTOMOBILES CO. LTD.
Regd. Off: Competent House, F-14, Connaught Place, New Delhi-01
CIN : L34102DL1985PLC020668
Ph: 011-45700000
Email: cs@competent-maruti.com
Web: www.competent-maruti.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29, 33, 47 and any other regulation, if applicable, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at New Delhi to, inter-alia, consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter & Nine Months ended on 31st December, 2020.
For COMPETENT AUTOMOBILES CO. LTD.
Sd/-
Raw Anra
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 04.02.2021

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी याधिका संख्या सीएए 78 (एन डी)/2020
जो की सम्बंधित है
कम्पनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) 56 (एन डी)/2020
ओर
कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
ओर
निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में
अनागिका मेटल प्राइवेट लिमिटेड
... याधिकाकर्ता संख्या 1/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी संख्या 1
ओर
क्रिस्टल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
... याधिकाकर्ता संख्या 2/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी संख्या 2
के साथ
सुमंगल प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
... याधिकाकर्ता संख्या 3/हस्तांतरित कम्पनी

ओर उनके सम्बंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों
(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी संख्या 1 जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 2 अप्रैल 1986 को गठित की गई थी और जिसका पंजीकृत कार्यालय H-108-C, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली -110001 में है। हस्तांतरणकर्ता कम्पनी संख्या 2 जो की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 अगस्त 1988 को गठित की गई थी और जिसका पंजीकृत कार्यालय 108, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 में है और हस्तांतरित कम्पनी की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 4 अगस्त 1986 को गठित की गई थी और जिसका पंजीकृत कार्यालय H-108-B, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली -110001 में है।)

भवगती ऑक्सिजन लिमिटेड
(CIN: L74899HR1972PLC006203)
पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर 25, प्लॉट सं. 5, बल्लभमगड - 121 004, हरियाणा
सूचना
स्टॉक एक्सचेंज के साथ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनांकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं उस पर अनुमोदन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 67, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 में शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जाएगी।
उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.globabol.com पर भी उपलब्ध है तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता/-
ए.के. शर्मा
स्थान: कोलकाता ए.के. शर्मा
तारीख: 03.02.2021 अध्यक्ष

यूनियन बैंक **Union Bank of India** **क्षेत्रीय कार्यालय** **कब्जा सूचना**
गाज़ियाबाद (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातों में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से जनसामान्य को सामान्य रूप से वेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गाज़ियाबाद को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	ऋणी/गारंटर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि	
1.	शाखा: हापुड़ मेन ऋणी: श्री दीपक वसिष्ठ पुत्र सुभाष चन्द्र, मकान नं 0 बी-128, संजय विहार, आवास विहार कोलोनी, मेरठ रोड, हापुड़, 2000-245101। गारंटर: 1. श्री सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र चन्द्र मेरा, गली नं 0 6, अर्जुन नगर, चमड़ी, दिल्ली रोड, हापुड़, 2000-245101। 2. श्री सुभाष सिंघल पुत्र मोती राम, सी/ओ मेसर्स सुभाष क्लेबनगर, गोले मार्किट रेलवे रोड, हापुड़, 2000-245101।	एक आवासीय सम्पत्ति स्थित बी-128, संजय विहार, आवास विकास कोलोनी, मेरठ रोड, जिला- हापुड़, 2000-245101, माप क्षेत्रफल 129.30 वर्ग गज, सम्पत्ति स्वामी श्री दीपक वसिष्ठ पुत्र सुभाष चन्द्र। सीमाएं- पूर्व: श्री राजपाल सिंह का मकान नं 129, पश्चिम: शीला देवी का मकान नं 0 बी-127, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: रेलवे की सम्पत्ति।	02.12.2019	रु. 705888/- दिनांक 30.09.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.01.2021	
2.	शाखा: एस्टेटी, हापुड़ ऋणी: श्रीमती रेखा यादव पत्नी संजय यादव, मकान नं 0 402/16 केआर नगर, फूटी लाइन स्वर्ग आश्रम रोड, जिला- हापुड़, 2000-245101। गारंटर: श्री सजय यादव पुत्र बाबू राम, मकान नं 0 402/16 केआर नगर, फूटी लाइन, स्वर्ग आश्रम रोड, जिला- हापुड़, 2000-245101।	आवासीय भवन स्थित प्लॉट नं 0 3, खसरा नं 0 1816, ग्राम-असौदा, मौलाना केआर नगर, स्वर्ग आश्रम रोड, जिला-हापुड़, 2000-245101, माप क्षेत्रफल 95.27 वर्ग गज एवं 79.68 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रेखा देवी पत्नी संजय यादव। सीमाएं- पूर्व: दीपक यादव का प्लॉट नं 0 2, पश्चिम: एडवोकेट सुबीर त्वाणी का प्लॉट नं 0 4, उत्तर: अन्य का प्लॉट नं 0 8, दक्षिण: 18 फीट चौड़ा रास्ता।	28.11.2019	रु. 15,21,800/- दिनांक 30.09.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.01.2021	
3.	शाखा: एस्टेटी, हापुड़ ऋणी: श्रीमती रेखा यादव पुत्र असलूक अहमद, मकान नं 0 137, ग्राम-सादिकपुर, जिला- हापुड़, पिन- 245101। सह-ऋणी: श्री असलूक पुत्र फकीरा, मकान नं 0 137, ग्राम-सादिकपुर, जिला- हापुड़, पिन- 245101। गारंटर: 1. श्री अशफक पुत्र असलम, मकान नं 0 137, ग्राम-सादिकपुर, जिला- हापुड़, पिन-245101। 2. श्री अशमद अली पुत्र साहबुददीन, मकान नं 0 2076, शिवदयालपुरा-2, जिला- हापुड़, पिन- 245101।	व्यावसायिक भवन सम्पत्ति क्षेत्रफल 63.33 वर्ग गज स्थित मौलाना पीरबुदुदीन, बीएसआर रोड, मालिक सिमेंट एजेंसी, जिला- हापुड़, 2000-245101, सम्पत्ति स्वामी श्री असलूक पुत्र फकीरा। सीमाएं- पूर्व: गला फैक्ट्री, पश्चिम: बुरांशहर रोड, उत्तर: फिजाज अहमद की सम्पत्ति, दक्षिण: डी0 इरवान की सम्पत्ति।	03.04.2019	रु. 7,97,345.20 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.01.2021	

दिनांक: 04.02.2021 स्थान- हापुड़ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक **Union Bank of India** **क्षेत्रीय कार्यालय** **कब्जा सूचना**
गाज़ियाबाद (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातों में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/बंधककर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से जनसामान्य को सामान्य रूप से वेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गाज़ियाबाद को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	ऋणी/गारंटर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि	
	शाखा: झालाना ऋणी: श्री मयाना कंसल पत्नी श्री मनोज कंसल, निवासी: 106, मालिवाडा चौक, तहसील एवं जिला-गाज़ियाबाद एवं गारंटर: श्री मनोज कंसल पुत्र श्री यश भुवान कंसल, निवासी: 106, मालिवाडा चौक, तहसील एवं जिला- गाज़ियाबाद।	बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति के समी भाग व यूज्ड माप क्षेत्रफल 5.20 वर्ग मीटर स्थित कियोस्क नं 00/09 09, जीडीए मार्किट, शाही नगर, गाज़ियाबाद, तहसील एवं जिला-गाज़ियाबाद, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती मयाना कंसल पत्नी श्री मनोज कंसल एवं सीमाएं- उत्तर: सुभाष नं 09, दक्षिण: खुला क्षेत्रफल, पूर्व: खुला क्षेत्रफल, पश्चिम: कियोस्क नं 00/09 08।	30.07.2019	रु. 4,59,164.90 दिनांक 30.07.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.01.2021	

दिनांक: 04.02.2021 स्थान-गाज़ियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

pnb शाखा कार्यालय- बाड़ी, जिला- धौलपुर (राज.) 328001
फोन नं. 8003898413, ई-मेल-bo0533@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तिका का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के पास गिरी, प्रसारित है, का रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो “जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है” के आधार पर संबंधित ऋणियों एवं जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूति लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु तालिका में वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि (वसूले राशि) संबंधित सम्पत्तियों के आगे वर्णित तालिका में है:-

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधककर्ताओं (सम्पत्तियों के मालिक) के नाम सहित सम्पत्तियों का विवरण	(अ) सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की दिनांक	कब्जा की दिनांक एवं प्रकार	(अ) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमपीडी राशि/ईएमपीडी जमा कराने की अंतिम दिनांक (सी) बोली बद्ध राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	अन्य कोई ऋणभार का विवरण
1.	पीएलसी-बाड़ी, जिला- धौलपुर (राज.)	साथिक बंधक सम्पत्ति के समी अग्रिम अंग व हिस्से गठित होते है जो श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री फुसिया के नाम से मकान जो धाई नं. 3, मौलाना अलीनगर रोड, गुमास अलीनगर-बाड़ी, तहसील-बाड़ी बाड़ी, धौलपुर (राज.)	(अ) 22.08.2019 (बी) रु. 15,76,308.27 (रुपये में पन्द्रह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अठारके साठ मात्र)	08.01.2020 को लिया	(अ) रु. 8,50,000/- (बी) रु. 85000/- (सी) रु. 10000/-	25.02.2021 प्रातः 11.00 बजे से 17.00 बजे	ज्ञात नहीं
	जमानतदार: श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री फुसिया	मुयात-बाड़ी, तहसील-बाड़ी जिला-धौलपुर (राज.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 569.25 वर्ग फीट है।	(अ) 22.08.2019 (बी) रु. 15,76,308.27 (रुपये में पन्द्रह लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अठारके साठ मात्र)	08.01.2020 को लिया	(अ) रु. 8,50,000/- (बी) रु. 85000/- (सी) रु. 10000/-	25.02.2021 प्रातः 11.00 बजे से 17.00 बजे	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें:- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 में वर्णित निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी:- 1. सम्पत्तियां “जहाँ है जैसी है तथा जो है जैसी है” के आधार बेची जाएगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के लिए इन अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण को खरा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://www.msstcecommerce.com> के जरिये दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 17.00 बजे तक होगा। 4. बिक्री की नियम व शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया <https://www.ibapi.in>, <https://eprocure.gov.in/publish/app> <http://www.msstcecommerce.com/> (4) www.pnbindia.in देखें।

दिनांक 04.02.2021 सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी स्थान :- धौलपुर वैधानिक विक्रय सूचना पंजाब नेशनल बैंक

pnb शाखा कार्यालय- धूलकोट जिला-धौलपुर, (राज.)-328001
मो.: 8003898461 E-Mail: bo1942@pnb.co.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नीलामी विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तिका का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के पास गिरी, प्रसारित है, का रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो “जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है” के आधार पर संबंधित ऋणियों एवं जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूति लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु तालिका में वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि (वसूले राशि) संबंधित सम्पत्तियों के आगे वर्णित तालिका में है:-

क्र.सं व जमानती का नाम व शाखा का नाम	बकाया राशि दिनांक तक	विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	ऋण गारंटर अप्रार कोई है तो	आरक्षित मूल्य	बोली की तिथि व घंटा	परीशे राशि व केंद्र की तिथि	ई-नीलामी की तिथि व समय	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	कब्जा लेने एवं प्रकृति	बोली की तिथि व मूल्य
मां पीताम्बर कोल्ड स्टोरेज, प्रेम सिंह पुर श्री निहाल सिंह, निराज कुमार पुत्र श्री निहाल सिंह, दिनेश कुमार पुत्र श्री हनुम सिंह, रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राधेन्द्र सिंह, श्रीमती विलेजल त्वाणी पत्नी स्व. श्री गोकुल सिंह, मनीष कुमार पुत्र श्री राधेन्द्र सिंह, श्रीमती लीलावती पत्नी प्रेम सिंह शास्त्र- बूलकोट, धौलपुर (राज.) 328001	रु. 3,66,61,102.86	मां पीताम्बर कोल्ड स्टोरेज के नाम से संपत्ति भूमि एवं भवन के समी अन्य एवं हिस्से जिसमें त्रुटिवेधक प्लाट एवं यमीनी शामिल है जो खसरा नं. 1902/2 क्षेत्रफल 2529 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 1903 क्षेत्रफल 3541 वर्गमीटर, गांव पिपहेरा, तहसील-सैपट, जिला-धौलपुर, राज. में स्थित है।	आर नहीं	रु. 2,16,34,000/-	21.63.400/-	23.02.2021	दिनांक 25.02.2021 व समय 12.00 बजे से सांय 17.00 बजे तक	03.08.2019, रु. 36661102.86 + आगे का ब्याज एवं खर्चे	माॉिक कब्जा लेने की दिनांक 27.11.2019	रु. 100000/-

नियम एवं शर्तें:- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 में वर्णित निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी:- 1. सम्पत्तियां “जहाँ है जैसी है तथा जो है जैसी है” के आधार बेची जाएगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के लिए इन अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण को खरा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://www.msstcecommerce.com> के जरिये दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 17.00 बजे तक होगा। 4. बिक्री की नियम व शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया <https://www.ibapi.in>, <https://eprocure.gov.in/publish/app> <http://www.msstcecommerce.com/> (4) www.pnbindia.in देखें।

दिनांक: 02.02.2021 स्थान: धौलपुर सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत वैधानिक विक्र